

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.27(7)न्याय/2014

जयपुर, दिनांक 18/01/2021

:: परिपत्र ::

विषय:-राजस्थान विधि सेवा एवं राजस्थान विधि रचना सेवा के अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं द्वारा भरने के संबंध में।

राजस्थान विधि सेवा एवं राजस्थान विधि रचना सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष 01, जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पति विवरण दिनांक 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान है। कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर समस्त राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पति विवरण कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने के लिए परिपत्र जारी किये जाते रहे हैं। अतः सभी अधिकारियों को निम्न बिन्दुओं की पालना कर अचल सम्पति विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए निर्देशित किया जाता है:-

1. राजस्थान विधि सेवा एवं राजस्थान विधि रचना सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष 01 जनवरी, 2021 की स्थिति में अपना अचल सम्पति विवरण 31 जनवरी, 2021 तक अनिवार्य रूप से SSO-ID से लॉग इन कर राज काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं अधिकारी द्वारा की जाएगी एवं 31 जनवरी पश्चात् IPR MODULE को बन्द कर दिया जाएगा। उसके बाद अचल सम्पति विवरण नहीं भरे जायेंगे।
2. जो अधिकारी अपना अचल सम्पति विवरण की सूचना प्रस्तुत नहीं करेंगे, कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76)का./क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011 के तहत विजिलेन्स क्लीयरेंस नहीं दी जाएगी एवं पदोन्नति व वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं उपक्रमों पर भी लागू है।
3. जिन राजपत्रित अधिकारियों ने अपना वर्ष 2020 का अचल सम्पति विवरण ऑन-लाईन नहीं भरा था एवं उनके द्वारा अपना वर्ष 2021 का अचल सम्पति विवरण 31 जनवरी 2021 तक ऑन-लाईन भरने पर उनको वर्ष 2020 की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत कर दी जावेगी।
4. समस्त राज्य सेवा अधिकारियों को SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन-लाईन IPR भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में उक्त परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित IT अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

का
18.1.2021
(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राजस्थान विधि सेवा संवर्ग/राजस्थान विधि रचना सेवा संवर्ग के समस्त अधिकारीगण।
2. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

पुरुषोत्तम लाल सैनी
संयुक्त शासन सचिव